भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †3516
सोमवार, 11 अगस्त, 2025/2013 श्रावण, 1947 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

एसडीएस के अंतर्गत पर्यटन सर्किट का विकास

†3516. श्री जी. एम. हरीश बालयोगीः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या काकीनाडा, होप द्वीप, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, पासरलापुडी, अडूरू, एस. यनम और कोटिपल्ली को शामिल करने वाले पर्यटन सर्किट को स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत चिह्नित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सर्किट के अंतर्गत किए गए विकास कार्य, स्वीकृत घटक, समय-सीमा, कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम और कार्य की वर्तमान स्थिति सहित स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के लिए शुरू से अब तक आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) पर्यटन विकास योजना के भाग के रूप में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने, स्थानीय हस्तशिल्प, संस्कृति और व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) विशेष रूप से कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य और होप द्वीप जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में और उसके आसपास सतत पर्यटन और पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्षेत्र में स्थानीय युवाओं और पर्यटन हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण या रोजगार सृजन कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार उक्त पर्यटन सर्किट का विस्तार, एकीकरण या और आगे बढ़ावा देने की योजना बना रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (छ): वर्ष 2014-15 में, स्वदेश दर्शन योजना के तटीय परिपथ थीम के अंतर्गत 67.83 करोड़ रु. की कुल स्वीकृत राशि के साथ "काकीनाडा - होप आइलैंड - कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य - पासरलापुडी - अड्डुरु - एस. यनम - कोटिपल्ली का विकास" नामक

परियोजना को चिह्नित और स्वीकृत किया गया था। परियोजना को भौतिक रूप से पूर्ण बताया गया है और परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते, आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा पूरी स्वीकृत राशि जारी कर दी गई है और उसका पूर्ण रूप से उपयोग किया गया है।

इस परियोजना में चिन्हित स्थानों पर पर्यटन अवसंरचना विकास कार्यों का एक व्यापक समूह शामिल था, जिसका उद्देश्य संपर्कता, पर्यटकों के अनुभव और सतत पर्यटन क्षमता को बढ़ाना था। परियोजना के तहत स्वीकृत घटकों में, अन्य घटकों के अलावा, संपर्क मार्गों और पार्किंग सुविधाओं का निर्माण और उन्नयन; भू-दृश्य, पाथवे, प्रकाश व्यवस्था और गज़ेबो जैसी आवश्यक सुविधाओं के साथ तटीय क्षेत्रों का विकास; स्मारिका दुकानों के साथ मल्टी-क्यूज़िन फ़ूड कोर्ट, प्रतीक्षालय आदि सहित पर्यटक सुविधा अवसंरचना की स्थापना शामिल थी।

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय अपनी "सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी)" योजना के अंतर्गत सरकारी और सूचीबद्ध निजी संस्थानों के माध्यम से आतिथ्य और पर्यटन से संबंधित अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है, जो देश के युवाओं और पर्यटन हितधारकों सहित विविध समूहों के उम्मीदवारों को सेवा प्रदान करते हैं। इन प्रशिक्षणों के परिणामस्वरूप प्लेसमेंट, स्व-रोज़गार, उद्यमिता के साथ-साथ कई प्रशिक्षु डिप्लोमा और डिग्री जैसे उच्च शिक्षा के विकल्प भी चुन रहे हैं।

पर्यटन मंत्रालय अपने सतत प्रयास के तहत, प्रचार कार्यक्रमों, मेलों और त्योहारों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों को सहायता, प्रदर्शनियों में भागीदारी, वेबसाइट, सोशल मीडिया आदि सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों का समग्र रूप से संवर्धन करता है।

पर्यटन मंत्रालय ने देश में गंतव्य एवं पर्यटक-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से स्थायी और जिम्मेदारीयुक्त पर्यटन स्थलों का विकास करने के उद्देश्य से परिपथ-आधारित स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के तौर पर नया रूप दिया है। परियोजना की स्वीकृति एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान में, इस परिपथ के विस्तार और पुनः एकीकरण का कोई प्रस्ताव पर्यटन मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

******